जलापूर्ति प्रभावित

अजमेर, (कासं)। मरम्मत कार्य व पाइप लाइन बदलने के लिए सोमवार सुबह 15 घंटे का शटडाउन से कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रही। अधिशासी अभियंता निशा कुमारी मीणा ने बताया।

विरोध से घबराना नहीं चाहिए : अनिता भदेल

अजमेर, (कासं)। लोकतांत्रिक तरीके से संचालित किसी भी संस्था में विजयी पक्ष तथा पराजित पक्ष में विरोध होना आम बात है, उससे घबराना नहीं चाहिए। राजनीति में अक्सर ऐसे विरोध और उतार-चढ़ाव हम देखते हैं और उनका सामना करते हैं। जहां चुनाव हैं वहां विरोध होता ही है। यह बात अजमेर दक्षिण क्षेत्र से पांचवीं बार की विधायक पूर्व राज्यमंत्री अनिता भदेल ने अजयमेरु प्रेस क्लब के नववर्ष स्नेह मिलन समारोह एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र गुंजल की ओर से आयोजित अध्यक्षीय भोज के मौके पर कही। अजयमेरु प्रेस क्लब के 24 वर्ष पूर्ण कर रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर उन्होंने इस लंबे सफर के तमाम उतार चढ़ावों को याद करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह अजयमेरु प्रेस क्लब ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, वह अनूठी मिसाल है, उन्होंने किसी भी तरह के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहने का वादा किया।

कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता ने सभी वरिष्ठ पत्रकारों के सहयोग को अपने राजनीतिक करियर के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होंने अजयमेरु प्रेस क्लब की तरक्की और सृजनात्मक गतिविधियों की सराहना करते हुए अपनी तरफ से 51 हज़ार रुपए का योगदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब भी जाते हैं, वहां भी अजयमेरु प्रेस क्लब का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व महानगर संघचालक सुनील दत्त जैन ने कहा कि इतनी बड़ी संस्था को इतने वर्षों से सफलता से चलाना आसान नहीं है। कई बार मतभेद होते हैं, मगर मनभेद नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना जरूरी है।

पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह सनकत ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए क्लब को लेकर फैली भ्रांतियों व अफवाहों पर स्थिति स्पष्ट कर 24 वर्षों के संघर्ष का उल्लेख किया। इससे पहले क्लब के उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने अजयमेरु प्रेस क्लब के गठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि अनिता भदेल तथा विशिष्ठ अतिथि महेंद्र सिंह रलावता ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। प्रताप सिंह सनकत ने सभी का संक्षिप्त परिचय दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्लब सदस्य, उनके परिजन, पत्रकार व शहर के विशिष्ट लोग मौजूद थे।

राजीव वर्मा अतिरिक्त मुख्य अभियंता बने

अजमेर, (कासं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत इंजीनियर राजीव वर्मा ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय) का पदभार ग्रहण किया है। इस संबंध में सचिव प्रशासन सीमा शर्मा ने बताया कि चेयरमैन डिस्कॉम के अनुमोदन के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं। राजीव वर्मा इससे पहले टीए टू एमडी के पद पर कार्यरत थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नियुक्ति से पहले, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) का कार्य अशोक कुमार (मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट) द्वारा देखा जा रहा था।

राजीव वर्मा के पदभार ग्रहण करने पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कर्मचारी संगठनों ने उन्हें बधाई दी है।

खुला दूध जांच शिविर में 35 सैम्पल में से 16 फेल

अजमेर, (कासं)। अजमेर डेयरी द्वारा चलाए जा रहे 'दूध का दूध- पानी का पानी' खुला दूध जांच शिविर का आयोजन सोमवार को ब्रह्मा नगरी की पुष्कर में किया गया। इस दौरान खुला दूध जांच शिविर में आए 35 सैम्पल में से 16 हुए फेल हुए है।

प्रबंध संचालक रामलाल चौधरी ने बताया कि अजमेर शहर समेत जिले भर में चलाए जा रहे 'दूध का दूध पानी का पानी' खुला दूध की गुणवत्ता जांच अभियान से सोमवार को पुष्कर में खुला दूध बेचने वाले दूधियों में हडकम्प मच गया। दूध की जांच होने की खबर क्षेत्र के दूधियों में आग की तरह फैल गई वे सभी होली चौक पुष्कर से ही रिर्टन होकर चले गये व आगे सप्लाई नही कर पाये व क्षेत्र के सभी दूधिये जांच करवाये जाने से बचने लगे, क्योकि दूधियों द्वारा धड़ल्ले से बेखौफ होकर मनमाने दामों पर उपभोक्ताओं को मिलावटी दूध बेचा जा रहा है।

मिलावट की इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अजमेर डेयरी की गुण नियंत्रण शाखा से टैक्निकल स्टाफ देवराज द्वारा सैम्पल कलेक्शन व जांच की गई।

साथ ही उपभोक्ताओं को खुले दूध के स्थान पर पाश्चुरिकृत दूध का सेवन करने को प्रेरित करने व खुले दूध में हो रही मिलावट व उसके सेवन से होने वाली स्वास्थ्य सबंधी हानियों के प्रति जागरूक करने हेतु, प्रभारी विपणन लादूराम चौधरी के निर्देशानुसार अजमेर डेयरी के विपणन विभाग से मुकेश पडोदा (नोडल अधिकारी) श्वेता व्यास, सुमित कागंवा व राहुल चौधरी द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया।

विद्यार्थियों को स्वेटर बांटे

मेड़ता सिटी, (निसं)। मेड़ता में किन्नर समाज के गादीपति आदरणिया राजकुमारी बाई ने सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोररा के 90 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए, जिससे बच्चो को सर्दी के मोसम में ठंड से राहत मिल सके। राजकुमारी बाईजी ने सम्बोन्धित करते हुए विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की । इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य धारूराम कुड़िया ने विद्यालय परिवार की और से राजकुमारी बाईजी का स्वागत कर एवं धन्यवाद ज्ञापित किया इस मौके पर मोतीराम माकड़, मुकेश कुमार सिखवाल शीशपाल ओलन ,नेमीचन्द भाटी , मधु चौधरा, अनसुइया पारीक, बाऊ चौधरी, रतनाराम जाखड़ , मनोज कुमार खण्डेलवाल, हडमानराम, भवरलाल, मनीष थिरोद, हिमांशु कस्वा, ओमप्रकाश राजपुरोहित, सुरेश हुड्डा रवीना और आशु आदि उपस्थित रहे।

शिक्षा का महत्व समझाया

बिदियाद, (निस)। मकराना रीको एरिया मार्बल एसोसिएसन बिदियाद की ओर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बिदियाद में 175 स्वेटर वितरण किया गया । इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष भागूराम आंवला ने शिक्षा के महत्व के बारे जानकारी दी और अन्य गतिविधियों के महत्व के बारे में भी बताया। इस अवसर पर एसोसिएशन के गिरधारी मुंदलिया, चोथुराम बुगालिया, बृजमोहन लड्ढा, शिवकुमार शर्मा, प्रधानाचार्य रामनिवास बाबल, जगदीश प्रसाद काला,शक्तिसिंह, मनोज शर्मा, सुबोध डूडी, रामदीन, धन्नाराम राइका, रणवीर सिंह, रामनिवास परिहार, मुरली सोलंकी, तारा मीणा, रोशन बाई मीणा, मनीषा आदि उपस्थित थे।

भ्रमण किया

ब्यावर, (निसं)। रा.उ.मा. विद्यालय लसाडिया की कक्षा 9 की 16 छात्राओं ने व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी व कौशल मित्र अर्चना शर्मा व पुष्पा पाटौदीया के नेतृत्व में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण महाविद्यालय माखूपुरा अजमेर का भ्रमण किया। वरिष्ठ अध्यापक बलराज सिंह राठौड ने बताया विद्यालय की उप प्रधानाचार्य कीर्तिमाला अग्रवाल व स्टाफ ने छात्राओं को शुभकामनाएं देकर रवाना किया।

सरवाड़ में साधारण सभा आज

सरवाड़, (निसं)। सरवाड़ पंचायत समिति सरवाड़ की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को प्रधान घीसी देवी गुर्जर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।

ए.डी.ए. ने हटाया अतिकमण

अजमेर, (कासं)।। अजमेर विकास प्राधिकरण के उत्तर उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा के आदेश पर ग्राम बडलिया में अतिक्रमण पर कार्रवाई की।

अजमेर विकास प्राधिकरण के उत्तर उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा के आदेश पर ग्राम बडलिया में प्राधिकरण स्वामित्व के खसरा नम्बर 1686 रकबा 0.10हैक्टेयर, 1684/5504 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 4624/5716 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1920 रकबा03.70 हैक्टेयर पर अतिकमी छोटू पत्र औकांर गुर्जर, निवासी ग्राम बीर द्वारा चार दीवारी, पानी का होद, चार निर्माणाधीन कमरों को प्राधिकरण की टीम, पुलिस विंग व जेसीबी की सहायता से लगभग 04.37 हैक्टेयर भूमि को अतिकमण मुक्त करवाया गया।

यूजर चार्ज के विरोध में दुकानें बंद कर जताया रोष

अजमेर, (कासं)। नगर निगम द्वारा व्यापारियों व दुकानदारों से वसूले जा रहे यूजर चार्ज को लेकर सोमवार को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के नेतृत्व में पुलिस लाईन व्यापारिक एसोएिशन के पदाधिकारी और व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद कर सडक़ों पर उतर गए। व्यापारियों ने निगम पर जबरन वसूली करने का आरोप लगाया। यूजर चार्ज वसूल कर उन पर अतिरिक्त आर्थिक भार थोपा जा रहा है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

पुलिस लाइन व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रणवीर सैनी ने बताया कि नगर निगम द्वारा जबरन वसूली किये जाने वाले यूजर्स चार्जेस को लेकर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बसंल और महासचिव रमेश लालवानी के नेतृत्व में सोमवार को व्यापारी सडक़ों पर उतर आए है। पुलिस लाइन, लोहाखान, भोपा का बाड़ा सहित अन्य प्रमुख बाजारों के व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे यूजर चार्ज का जमकर विरोध किया। सैनी ने बताया कि पुलिस लाइन क्षेत्र में सुबह निगम के कर्मचारी यूजर चार्ज वसूलने पहुंचे और कुछ व्यापारियों की रसीद काट दी। निगम की इस हठधर्मिता को लेकर सभी व्यापारी एकजुट हो गए और स्वेच्छा से अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रख कर रैली निकाल कर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि निगम प्रशासन ने यदि यूजर चार्ज लेना बंद नहीं किया तो 26 जनवरी को अजमेर बंद का आहवान भी किया जा सकता है। दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकान पर कचरा न के बराबर होता है, जिन प्रतिष्ठान पर भारी मात्रा में कचरा एकत्रित होता है वहां से वसूले जाने पर उन्हें कोई इतराज नहीं है। छोटे दुकानदारों को यूजर चार्ज के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

महासंघ के महेन्द्र बंसल व रमेश लालवानी और रणवीर सैनी ने बताया कि नगर निगम की यूजर्स चार्ज की नीति न्यायोचित नहीं है। बाजारो में जमादार स्तर के अधिकारी निर्णय लेकर ही मनमर्जी के मुताबिक रसीदें काट रहे है। यूजर चार्ज पर न्यायसंगत नीति नहीं होने से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने न्यायोचित नीति बनाने की मांग की। मुकेश शर्मा, चवन, मनोज, बजरंग लाल, अफजल खान, अब्दुल करीम, रामचन्द्र, रघुनाथ चौधरी, रामस्वरूप, अशोक सोनी, जानी खार अफतर, बदरुद्दीन कुरैशी, प्रकाश, घनश्याम, हिम्मत सिंह सहित अन्य व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने बाजार बंद करके गांधी भवन चौराहे पर नगर निगम प्रशासन के विरोध प्रदर्शन किया।

पॉलिथिन की थैलियां जब्त

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने शहर के आदर्शनगर स्थित एक मकान से भारी मात्रा में पॉलिथिन की थैलियां जब्त की है। कार्रवाई की भनक लगते ही एक अन्य गोदाम से खुर्दबुर्द करने के लिए टेंपो में भरी जा रही पॉलिथिन थैलियां भी टीम ने जब्त की है। नगर निगम के होमगार्ड प्रभारी जोरावर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी को आदर्श नगर स्थित कैलाश अग्रवाल के मकान में भारी मात्रा में पॉलिथिन थैलियां होने की सूचना मिली। स्वास्थ्य निरीक्षक शिवकुमार गारू, निरीक्षक राजकुमार गहलोत, प्रवीण आदि की टीम मौके पर पहुंची। राधे वाटिका के पास स्थित कैलाश अग्रवाल के मकान की जांच की।

सार-समाचार

उर्दू विद्यालय को हिंदी में मर्ज करने का विरोध

अजमेर, (कासं)। अजमेर के दरगाह क्षेत्र स्थित अंदरकोट में संचालित उर्दू माध्यम के विद्यालय को हिंदी माध्यम विद्यालय में मर्ज करने पर कांग्रेसियों ने आपत्ति व्यक्त करते हुए सरकार व प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में सोमवार को शिष्टमंडल ने कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कर उर्दू माध्यम विद्यालयों यथावत रखने की मांग की। पीसीसी सदस्य रलावता ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि अजमेर जिले में दरगाह के पास स्थित अंदरकोट क्षेत्र पूर्णत: अल्पसंख्यक आबादी का क्षेत्र है, वर्ष 1941 से संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाव उर्दू माध्यम व बालिका शिक्षा हेतु राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अंदरकोट उर्दू माध्यम है, करीब 300 छात्र-छात्राएं वर्तमान में अल्पभाषायी उर्दू माध्यम में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। रलावता ने बताया कि 17 जनवरी को निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने आदेश जारी कर उर्दू माध्यम अल्पभाषायी विद्यालयों को हिन्दी माध्यम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़बाव में समायोजित कर दिया है, जो अनुचित व नियम विरुद्ध है, जिससे अभिभावकों व क्षेत्रवासियों में गहरा रोष है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, एएम अकबर, डॉ सोहेल अहमद, एडवोकेट मोहम्मद रईस खान, दानिश चिश्ती, फिरोजूल हसन चिश्ती, राजा चिश्ती, शफक्तउल्ला, मुजाहिद चिश्ती, हातिम अली, अकरम सिद्दीकी, साहिल हुसैन, अहमद हुसैन, तौफीक मोहम्मद, सुनील गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय निवासी मौजूद रहे।

शक्ति नगर में सीवरेज कार्य की मांग

अजमेर, (कासं)। नगर निगम के वार्ड नम्बर 54 के पार्षद सुनिल धानका ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर वार्ड के शक्तिनगर मे प्रस्तावित सीवरेज कार्य शुरू करवाने कि मांग की है। आयुक्त को लिखे पत्र में पार्षद सुनिल धानका ने बताया कि वार्ड 54 मे मेरे द्वारा नगर निगम अजमेर से सीवरेज का कार्य अमृत-2 में स्वीकृत करवाया गया है, जिसका सर्वे एक साल पहले हो गया है, लेकिन कार्य आज दिन तक शुरू नहीं हुआ है, जिसके लिए पहले भी मेरे द्वारा ज्ञापन दिया गया है, आज शक्तिनगर की कई गलियाँ में घरों का पानी बाहर नहीं जाने के कारण गलियों में ही गंदा पानी जमा हो रहा है, सभी को इस गंदे पानी से ही निकलना पड़ रहा है और मंदिर भी इस रास्तो से ही जाना पड़ रहा है। उन्होने बताया कि विशेष कर जेठमल जांगिड, रावत गार्डन के पास वाली गली में और शक्तिनगर राजेश ठाकुर की गली न. 2 में और यादव डेरी के आस पास की गलियों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बीमारियां भी फैल रही है एव लोगो का वहा से आना जाना दुश्वार हो रहा है। पार्षद धानका ने पहले ही सीवरेज स्वीकृत करवाई है, लेकिन ठेकेदार काफ़ी लम्बा समय बीतने के बाद भी यहाँ काम शुरू नहीं कर पाया है।

लोकेन्द्र सिंह अध्यक्ष बने

पुष्कर, (निसं)। स्वायत शासन विभाग के कर्मचारियों के हितों के लिए राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के तत्वावधान में सोमवार को राजस्थान प्रांतीय संरक्षक रिछपाल चौधरी की अध्यक्षता में पुष्कर नगर परिषद के कर्मचारियों की बैठक हुई तथा नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन पुष्कर शाखा का पूर्णागठन किया। बैठक में सर्व सहमति से पुष्कर नगर परिषद के सहायक अभियंता रेसल सिंह को संरक्षक नियुक्त किया गया। सफाई निरीक्षक लोकेंद्र सिंह को पुष्कर नगर परिषद फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया। उपाध्यक्ष जमादार कैलाशचंद, महामंत्री योगेश शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकिशोर सैनी, वरिष्ठ सलाहकार कमल शर्मा, सलाहकार हीरालाल बचानी, संयुक्त मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत, सदस्य रूप लाल हेमराज, बोदूराम, सुरेश गुर्जर, दीपक गोयल, महेश मीणा व बेबी पुखराज बनाए गए।

NAME CHANGE

I, Manjur Ahammad Shaikh, Residing Vill. & Po. Joynagar Dist. Murshidabad, W.B., 742189 have change my Name from Manjur Ahammad Sk to Manjur Ahammad Shaikh, Affidavit No. 32AA341438 Dt 26/8/2024 before court campus berhampore murshidabad

NAME CHANGE

I, Laxman Father of Army No. 14839102K, HAV/MT, Dheple Ganesh Laxman, Residing Vill./Po. Bodhegaon(Bk), Teh: Phulambri, Dist. Aurangabad, Maharashtra 431151 have change my Name from Laxman to Laxman Baburao Dheple vide Affidavit No. BW937934 Dt 18/1/2025 before Court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I Mst Manoyara Khatun Mother's of Army No. 18002344M, HAV, Manjur Ahammad Shaikh Residing Vill. & Po. Joynagar Teh. Berhampore Dist. Murshidabad, W.B. 742189 have change my Name from M Manoyara Bibi to Mst Manoyara Khatun Affidavit No. BW937937 Dt 20/1/2025 before court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I, Asarabai Mother of Army No. 14839102K, HAV/MT, Dheple Ganesh Laxman, Residing Vill./Po. Bodhegaon (Bk), Teh: Phulambri, Dist. Aurangabad, Maharashtra 431151 have change my Name from Asarabai to Aasrabai Laxman Dheple vide Affidavit No. BW937935 Dt 18/1/2025 before Court campus Nasirabad

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली
अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय ADJ 10 Jaipur Metro स्थान I
प्रकाश चंद्र चौहान विरूद्ध मीना
कुमारी सैन
व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र (575/2024)
प्रार्थना पत्र संख्या 12 H.M. Act. सन्
नाम मीना कुमारी सैन पुत्री चांदमल जाति सैन पता सुराना मोहल्ला, भिनाय, अजमेर, भिनाय राज.
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह निवेदन किया है कि नकल संलग्न नहीं है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 7 माह 3 सन् 2025 को 10 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज दिनांक 18 माह 1 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
संख्या 10 जयपुर महानगर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली
अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय ADJ 10 Jaipur Metro स्थान I
प्रकाश चंद्र चौहान विरूद्ध मीना
कुमारी सैन
व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र (149/24)
प्रार्थना पत्र संख्या... सन्
नाम श्रीमती मीना कुमारी सैन पुत्री चांदमल जाति सैन पता सुराना मोहल्ला, भिनाय, अजमेर, भिनाय राज.
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह निवेदन किया है कि नकल संलग्न नहीं है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 7 माह 3 सन् 2025 को 10 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज दिनांक 18 माह 1 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
संख्या 10 जयपुर महानगर

संख्यांक 2
विवाधको के स्थरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 नियम 1 और 5)
न्यायालय ADJ-10, Jaipur Metro स्थान I
प्रकाश चंद्र चौहान विरूद्ध
मीना कुमारी सैन व अन्य
दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या 135/24 सन्
नाम श्रीमती मीना कुमारी सैन पुत्री चांदमल जाति सैन स्थान सुराना मोहल्ला, भिनाय, अजमेर, भिनाय, राजस्थान वादी ने आपके विरूद्ध.... के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 7 माह 3 सन् 25 को दिन में 10 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद दिनांक 18 माह 1 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
संख्या 10 जयपुर महानगर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप आम सूचना
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चौरसियावास योजना के आवासीय खसरा संख्या 1020 भूखण्ड संख्या 06 क्षेत्रफल 200 वर्गगज के आवंटी श्रीमती लता देवी मामनानी पत्नि खुशीराम मामनानी निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 03.10.2015 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों में क्रमशः (1) प्रकाश मामनानी पुत्र खुशीराम मामनानी (2) विजय मामनानी पुत्र खुशीराम मामनानी (3) दिनेश मामनानी पुत्र खुशीराम मामनानी (4) श्रीमती पिंकी पुत्री खुशीराम मामनानी निवासी (समस्त चारों) अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार खुशीराम मामनानी पुत्र स्व. टहलराम निवासी अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 13.01.2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें । उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप आम सूचना
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चौरसियावास योजना के आवासीय खसरा संख्या 1604 क्षेत्रफल 305.06 वर्गगज के आवंटी श्रीमती लता देवी मामनानी पत्नि खुशीराम मामनानी निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 03.10.2015 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों में क्रमशः (1) प्रकाश मामनानी पुत्र खुशीराम मामनानी (2) विजय मामनानी पुत्र खुशीराम मामनानी (3) दिनेश मामनानी पुत्र खुशीराम मामनानी (4) श्रीमती पिंकी पुत्री खुशीराम मामनानी निवासी (समस्त चारों) अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार खुशीराम मामनानी पुत्र स्व. टहलराम निवासी अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 13.01.2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें । उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप आम सूचना
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चौरसियावास योजना के आवासीय खसरा संख्या 1020 भूखण्ड संख्या 06 क्षेत्रफल 200 वर्गगज के आवंटी श्रीमती लता देवी मामनानी पत्नि खुशीराम मामनानी निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 03.10.2015 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों में क्रमशः (1) प्रकाश मामनानी पुत्र खुशीराम मामनानी (2) विजय मामनानी पुत्र खुशीराम मामनानी (3) दिनेश मामनानी पुत्र खुशीराम मामनानी (4) श्रीमती पिंकी पुत्री खुशीराम मामनानी निवासी (समस्त चारों) अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार खुशीराम मामनानी पुत्र स्व. टहलराम निवासी अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 13.01.2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें । उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर
क्रमांक/नियमन/24-25/741 दिनांक- 13-01-2025
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्रीमति मीना मंगरोला पत्नि श्री प्रकाशचन्द मंगरोला निवासी आसरवा कॉलोनी, जवाहर भवन मार्ग, ब्यावर ने राजस्व ग्राम सेदरिया के खसरा नम्बर 452, 454, 478/02, 480 में स्थित गोकुल विहार के भूखण्ड संख्या 06 व 07 कुल क्षेत्रफल 306.25 वर्गगज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर-भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
सीमायें (साईट प्लान के अनुसार)
पूर्व- प्लाट नं. 05 पश्चिम- रोड 30 फीट
उत्तर - प्लाट नं. 08 दक्षिण - रोड 30 फीट
आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राजस्थान
क्रमांक: न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2025/623 दिनांक-17-1-25
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में निम्न भूखण्ड का वितरण कर राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा न. 355 में स्थित भूखण्ड संख्या 176 का क्षेत्रफल 124.48 वर्गगज भूमि का आवासीय पट्टा हेतु कृषि भूमि नियमन प्रकरण विचाराधीन है। अतः निम्न खसरा नम्बर के भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां / कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क्रसं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	क्षेत्रफल रकबा/ भूखण्ड संख्या	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	भवंर गोपाल पुत्र स्व श्री हीरालाल निवासी शितला माता मन्दिर के पास 1. शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज0	मदनगंज 355	भूखण्ड संख्या 176 का क्षेत्रफल 124.48 वर्गगज	आवासीय

प्रभारी नगर परिषद किशगनढ

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान
क्रमांक -न.प.बि/निर्माण.स्वी./2024/5069 आम सूचना दिनांक : 15.1.25
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर